



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Govt. Undertaking)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या :-

/जी०सी०ए०ओ०छ:/०६ए/१७

दिनांक 10 जुलाई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रान्सको एवं केस्को में चतुर्थ श्रेणी एवं आशुलिपिक के पद पर तैनात माह जुलाई, 2017 से माह मार्च, 2020 के मध्य 60 वर्ष की निर्धारित अधिवर्षता आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होने वाले अधोनामित लेखा कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख इंगित तिथि को सेवानिवृत्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	नाम / गृहजनपद (सर्वश्री / श्रीमती)	पदनाम	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	तैनाती इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6
1	सन्तोष कुमार, लखनऊ	अनुसेवक	07.07.1958	31.07.2018	सम्प्रेक्षा अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
2	फिरतू राम, फैजाबाद	अनुसेवक	25.10.1958	31.10.2018	सामान्य प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3	जायर हुसैन, सुल्तानपुर	आशुलिपिक	20.04.1959	30.04.2019	शिविर कार्यालय निदेशक (वित्त) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
4	सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, लखनऊ	अनुसेवक	01.06.1959	31.05.2019	वेतन एवं लेखा, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5	राम किशोर सिंह, सुल्तानपुर	अनुसेवक	15.10.1959	31.10.2019	निधि प्रबन्ध, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्मिकों को स्तम्भ संख्या-5 में दर्शित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करते हैं। संगत विनियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में उक्त तिथि के पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है। किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके कार्मिकों का यह व्यक्तिगत दायित्व है कि वह बिना किसी अग्रतर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये नियत तिथि को सेवा निवृत्त/कार्यमुक्त हो जाये। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक व सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कार्मिक की विधिक जिम्मेदारी होगी।

कमश:-2-

नियंत्रक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिक को पेंशन प्रपत्र सेवानिवृत्त होने से पूर्व यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे समय से पेंशन प्रपत्र पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर सके एवं सेवानिवृत्त हेतु देय कार्मिकों की सेवा पुस्तिका, वेतन निर्धारण की जाँच समय से करना एवं अदेयता प्रमाण पत्र इत्यादि भी निर्गत कराना सुनिश्चित किया जाए।

उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)

संख्या :-/274/जी0सीएओ0छ:/6ए/17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक(वित्त), कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 (केस्को), कानपुर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. उप महाप्रबन्धक (सम्प्रेक्षा)/(वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप महाप्रबन्धक, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय(पारेषण पूर्व),(पारेषण मध्य),(पारेषणपश्चिम), (पारेषण दक्षिण),इलाहाबाद/लखनऊ/मेरठ/कानपुर।
8. सचिव, उ0प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट/सीपीएफ ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी, स0प्र0 (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता, वेब साईट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. सहायक लेखाधिकारी—प्रथम,द्वितीय,तृतीय,चतुर्थ, सामान्य प्रशासन अनुभाग, केन्द्रीय लेखा कार्यालय, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. सम्बन्धित कार्मिक/वैयक्तिक पत्रावली/अधिष्ठान सहायक।

(ए.के. कश्यप)

लेखाधिकारी (प्रशासन)